# न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. 32/2016

| **प्रार्थी–** | *बनाम* | **अप्रार्थीगण–** |
|---|---|---|
| खंगारमल पुत्र हेमाराम जाति जटिया निवासी जटियों का पुराना बास, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर | | 1. बुद्धा पुत्र सोना<br>2. उकाराम पुत्र अखा<br>3. झीमों पत्नी अखा<br>4. घमण्डाराम पुत्र वीरमा<br>5. डालूराम पुत्र वीरमा<br>6. नारणाराम पुत्र दीपा<br>7. आसू पुत्र दीपा<br>8. ताराराम पुत्र दीपा<br>9. जाली पत्नी दीपा<br>10. अर्जुन पुत्र पूनमा<br>जातियान कुम्हार निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर<br>11. फादर सबेस्टीन डिमेलो द्वारा प्रेसिडेंट रोमन कैथोलिक (आरसी) डायोसीन सोसायटी अजमेर के प्रतिनिधि फादर सबेस्टीन डिमेलो हाल प्राचार्य सेन्ट पॉल स्कूल, बाड़मेर<br>[illegible] कुमार पुत्र पारसमल जाति [illegible] निवासी हमीरपुरा बाड़मेर<br>13. [illegible]नयप्रतापसिंह पुत्र ना[illegible]सिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर |

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसील व जिला बाड़मेर

14. दिनेश कुमार सिंघल पुत्र मदनलाल
15. दीपक कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंघल जातियान अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड़ बाड़मेर
16. बालसिंह पुत्र जेतमालसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

**रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 56 दिनांक 04.06.1963 जो सरपंच, ग्राम पंचायत महाबार द्वारा शुन्य बेचान दिनांक 16.06.1961 के आधार पर पारित किया गया।**

उपस्थिति :–
1. श्री रामस्वरूप भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 11 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 12से16 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 1से10 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. अप्रार्थी सं. 17 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

## आदेश

दिनांक : 01.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम महाबार के ना.क. सं. 56 पारित दिनांक 04.06.1963 की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इसे निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम महाबार के खसरा नम्बर 51 रकबा 105–04 बीघा भूमि भोला वल्द काना कौम जटीया सा0 बाड़मेर खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार भोला के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 16.06.1961 के द्वारा बुधा, अखा, वीरमा, दिपा, पि0 सोना, अर्जुन पुत्र पूनमा कौम कुम्हार जटीया सा0 देह के पक्ष में विक्रय करने पर हल्का पटवारी महाबार द्वारा नामान्तरकरण सं. 56 दायर कर ग्राम पंचायत महाबार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत महाबार द्वारा मंजूर कर दिया। प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत महाबार द्वारा स्वीकृत इस नामान्तरकरण को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधि के प्रावधानों के विपरित होना मानते हुए इसे निरस्त कराने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05. 2016 को प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 82 राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच उपरांत अवैधानिक एवं औचित्यहीन ना.क. आदेश को निरस्त करने हेतु अभिशंषा सहित मामला राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. हमने दोनो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी स्व0 भोला पुत्र काना कौम जटिया का वंशज हैं जो अनुसूचित जाति का सदस्य हैं। वक्त बन्दोबस्त प्रार्थी के दादा भोला के नाम पुश्तैनी खातेदारी का खेत ग्राम [illegible] रकबा 105–04 बीघा का आया हुआ था। प्रार्थी [illegible]री का खेत जरिये पंजीबद्ध बेचान–पत्र व[illegible] बुद्धा, अखा, वीरमा, दीपा पिसरान सोना, अर्जुन पुत्र पूनमा कौम [illegible]म्हार (पिछड़ी जाति) सकनाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

महाबार तहसील व जिला बाड़मेर वालों को कर दिया। उक्त पंजीबद्ध विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 56 तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत महाबार द्वारा पारित किया गया। प्रार्थी जाति से जटिया समुदाय अनुसूचित जाति से संबंधित हैं जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि का विक्रय नहीं कर सकता था तथा विवादित आराजी गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में मुन्तकील नहीं हो सकती हैं। अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि पर सवर्ण जाति के किसी भी सदस्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कानूनन ऐसा विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित माना गया हैं तथा इस विक्रय के द्वारा उक्त धारा के आज्ञापक प्रावधानों का सीधा–सीधा उल्लंघन किया गया हैं जिस कारण उक्त कथित पंजीबद्ध विक्रय–पत्र स्वतः ही अवैधानिक हो जाता हैं। उक्त बेचान का भोला पुत्र काना उर्फ रामा को कोई विधिक अधिकार नहीं था, चुंकि उक्त बेचान प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से व प्रारम्भ से ही बेअसर, निष्प्रभावी, अवैध एवं शुन्य हैं। अप्रार्थी सं. 1से10 द्वारा भूमि अवैध रूप खरीदने के बाद अप्रार्थी सं. 13से16 को आगे अन्तरित कर दी गई है, जिसके आधार पर सभी पश्चातवर्ती अन्तरण काबिल निरस्त हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस अधीन भूमि के अन्तरण की गैर कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिकूल कब्जे व मयाद का बिन्दु महत्वहीन होता हैं तथा इस तरह के प्रकरणों में कोई हक–हकूक हासिल नहीं होते हैं। अतः उक्त बेचाननामें अवैध एवं शुन्य घोषित करवाने हेतु उक्त रेफरेंस राजस्व आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो विवादित नामान्तरकरण सं. 56 को शुन्य घोषित करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थीगण सं. 13से16 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमि का अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा 1963 से पूर्व गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाडमेर

अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता हैं। वर्ष 1963 से पूर्व धारा 42ए में कृषि भूमि के अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया अन्तरण वोईड (*Void*) नहीं माना गया हैं। अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा कृषि भूमि के गैर अनुसूचित जाति के पक्षकार को किया जाने वाला अन्तरण अधिनियम में 1963 के संशोधन के पश्चात वोईड (*Void*) माना गया हैं, इसलिए दिनांक 16.06.1961 को भोला द्वारा बुद्धा वगैरह के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में किये विक्रय को भूतलक्षी प्रभाव से शुन्य नहीं माना जा सकता हैं। तत्कालीन खातेदार भोला द्वारा भूमि के विक्रय के साथ ही बुद्धा वगैरह को भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था यह तथ्य विवादित नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त विक्रय के लगभग 47 वर्ष पश्चात बादग्रस्त भूमि के कब्जे के प्रत्यावर्तन की मांग की गई हैं लेकिन वर्ष 1963 के संशोधन से पूर्व अनुसूचित जाति के काश्तकार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किये अन्तरण को शुन्यकरणीय घोषित कराने एवं कब्जाधारी से कब्जा प्राप्त करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में हैं। यदि भोला द्वारा बुद्धा वगैरह को दिनांक 16.06.1961 को किये बेचान अन्तरण को शुन्यकरणीय माना जावे तो भी कब्जा प्राप्ति का वाद प्रस्तुत करने की अवधि 30 वर्ष होने से 47 वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं अभिकथनों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता [illegible] खसरा नम्बर 51 रकबा 105–04 बीघा भूमि भोला [illegible] बाड़मेर खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में [illegible]र भोला के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 16.06.1961 के द्वारा बुधा[illegible] अखा, वीरमा, दिपा, पि0 सोना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाडमेर

अर्जुन पुत्र पूनमा कौम कुम्हार जटीया सा0 देह के पक्ष में विक्रय करने पर हल्का पटवारी महाबार द्वारा नामान्तरकरण सं. 56 दायर कर ग्राम पंचायत महाबार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत महाबार द्वारा मंजूर कर दिया। प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत महाबार द्वारा स्वीकृत इस नामान्तरकरण को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधि के प्रावधानों के विपरित होना मानते हुए इसे निरस्त कराने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2016 को प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि प्रश्नगत नामान्तरकरण एक अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पक्ष में किये गये अन्तरण के आधार पर स्वीकृत किया गया हैं जो धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघनकारी होने से निरस्त योग्य हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2003(1) पेज 672 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि धारा 42 के प्रावधान संशोधन के पश्चात हुए अन्तरण उपबन्ध के उल्लंघन में होने के कारण निरस्त योग्य हैं तथा इस हेतु धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई हैं। इसी प्रकार मयाद के संबंध में आर0आर0टी 2013(1) पेज 267 में भी यह निर्धारित किया गया हैं कि रेफरेंस के लिये कोई मयाद निर्धारित नहीं हैं तथा न ही कोई न्यायालय परिसीमा नियत कर सकता हैं। इसके अलावा न्यायिक निर्णय नजरी आर0आर0टी 2013(1) पेज 690 में भी यह निर्धारित किया गया हैं कि ऐसी भूमि का हस्तान्तरण 22.09.1956 के बाद वर्जित एवं निषेध था––भूमि वर्ष 1961 में विक्रय की–अनु.जाति/अनु. जनजाति द्वारा गैर अनु.जाति/अनु.जनजाति को हस्तान्तरण का निषेध आकर्षित हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में तत्कालीन पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड बेचान–पत्र दिनांक 16.06.1961 को अप्रार्थीगण बुद्धा वगैरह के पक्ष में निष्पादित करते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुए विवादित भूमि का विक्रय किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रथम संशोधन वर्ष 1956 में किया जाकर धारा 42 में स्पष्टीकरण से पूर्व परंतुक जोड़ा गया था जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि का किया गया अन्तरण अधिनियम के आरम्भ से ही शुन्य माना गया था। इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 1964 आरआरडी 342 (एचसी) के द्वारा अमान्य कर हटा दिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के द्वितीय संशोधन अधिनियम जो दिनांक 01.05.1964 से प्रभावी हुआ है, में धारा 42 के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव का नहीं मानते हुए भविष्यलक्षी लागू किया गया हैं। इस प्रकार विवादित अन्तरण दिनांक 16.06.1961 को होने से द्वितीय संशोधन अधिनियम के प्रभाव इस पर लागू नहीं होंगे तथा यह अन्तरण आरम्भ से शुन्य (*void ab intio*) की परिभाषा में नहीं आता हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में आर0आर0डी0 1990 पेज 601 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसमें यह निर्धारित किया गया हैं कि–

> *"Sec. 42 contained no prohibition about sale by khatedar belonging to S.C. in R.T. Act which came into force on 15.10.1955—Sec. 42 amended from 22.09.56 adding proviso that member of S.C. or S.T. shall not transfer his interest to a non-member—Proviso deemed always to have been so added- Second amendment came into force on 01.05.1964 which continued proviso reg. sale to non-member as void but deleted condition about proviso being deemed to have been always so added—First amendment (22.09.56) purporting to be retrospective, struck down by 1964 RRD 342 (H.C.)—Second amendment effective from 01.05.64 not retrospective—Hence sales on or after 01.05.64 void, sale between 22.09.56 and 01.05.64 voidable and sales prior to 22.09.56 [illegible]*

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय नजीर 2019(2) आर0आर0टी0 1301 प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मण्डल की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एकल पीठ द्वारा निर्धारित किया हैं कि असाधारण विलम्ब से नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया रेफरेंस काबिल निरस्त हैं तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित नहीं हैं। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा विलम्ब एवं प्रतिकूल कब्जा के संबंध में अन्य न्यायिक निर्णय नजीरें आर0आर0डी0 2002 पेज 47, आर0आर0डी0 1996 पेज 565, आर0आर0डी0 1996 पेज 1601, आर0आर0डी0 1996 पेज 170 व आर0आर0डी0 1984 पेज 821 प्रस्तुत की गई। उपर्युक्त उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतो के विवेचन पश्चात उक्त अन्य न्यायिक नजीरों का पृथक से विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी कथन किया हैं कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत विवादित भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 42, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के न्यायलय में दिनांक 19.07.2010 को प्रस्तुत किया हैं जो विचाराधीन हैं। ऐसे में यदि प्रार्थी विवादित भूमि में अपने हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसे नियमित वाद में ही चाराजोही करनी चाहिए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रकट तथ्यों एवं न्यायिक निर्णय नजीरों के विवेचन से प्रतीत होता हैं कि खातेदार भोला द्वारा विवादित भूमि का हस्तान्तरण बेचान–पत्र दिनांक 16.06.1961 के द्वारा किया गया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रथम संशोधन वर्ष 1956 में किया जाकर धारा 42 में स्पष्टीकरण से पूर्व परंतुक जोड़ा गया था जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि का किया गया अन्तरण अधिनियम के प्रारम्भ से ही शुन्य माना गया था। इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 1964 आरआरडी 342 (एचसी) के द्वारा अमान्य कर हटा दिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम के द्वितीय संशोधन अधिनियम जो दिनांक 01.05.1964 से प्रभावी हुआ है, में धारा 42 के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव का नहीं मानते हुए भविष्यलक्षी लागू किया गया हैं। इस प्रकार विवादित अन्तरण दिनांक 16.06.1961 को होने से द्वितीय संशोधन अधिनियम के प्रभाव इस पर लागू नहीं होंगे तथा यह अन्तरण आरम्भ से शुन्य (*void ab intio*) की परिभाषा में नहीं आता हैं। इस प्रकार प्रश्नगत अन्तरण अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत शुन्यकरणीय (*Voidable*) हैं न कि आरम्भ से शुन्य (*Void ab initio*) की परिभाषा में आता हैं, ऐसे में प्रार्थी को उक्त शुन्यकरणीय हस्तान्तरण को नियमित वाद में साक्ष्य–सबूतों का परीक्षण करवाते हुए शुन्य घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। लिहाजा हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अंतिम विनिश्चय हेतु अग्रेषित किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अंतिम विनिश्चय हेतु अग्रेषित किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

9. आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( लोक बंधु )
जिला कलेक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested